संख्या-295/2018/4667/71-1-2018-जी-133/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 07 दिसम्बर, 2018

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेजों में शव वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/486, दिनॉक 31-10-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में शव वाहन का क्रय हेतु मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 180.00 लाख (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 156.00 लाख (रू0 एक करोड़ छप्पन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने पर निम्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	शव वाहन हेतु		
		प्रति नग अनुमानित मूल्य	मात्रा	कुल अनुमानित धनराशि
1	मेडिकल कालेज, कानपुर	12.00	01	12.00
2	मेडिकल कालेज, आगरा	12.00	01	12.00
3	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	12.00	01	12.00
4	मेडिकल कालेज, मेरठ	12.00	01	12.00
5	मेडिकल कालेज, झॉसी	12.00	01	12.00
6	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	12.00	01	12.00
7	मेडिकल कालेज, कन्नौज	12.00	01	12.00
8	मेडिकल कालेज, जालौन	12.00	01	12.00
9	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	12.00	01	12.00
10	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	12.00	01	12.00
11	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	12.00	01	12.00
12	मेडिकल कालेज, बॉदा	12.00	01	12.00
13	मेडिकल कालेज, बदायूँ	12.00	01	12.00
	योग-	156.00		156.00

2- उक्त धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- मोटर गाड़ी के क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- शव वाहन का क्रय वर्तमान में लागू डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के जेम पोर्टल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनॉक 22.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-79-राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थान में शव वाहन का क्रय-14-मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2310/दस-2018, दिनॉक 30 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-295/2018/4667(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा एवं बदायूँ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा एवं बदायूँ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा एवं बदायूँ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।